



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2016/पौष 23, 1937

No. 87]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2016/ PAUSA 23, 1937

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

का.आ. 101 (अ).—विध्वंसक कीट व नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. **लघु शीर्ष एवं प्रारम्भ** — (1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2016 कहा जाए।
(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. पौध संगरोध (भारत में आयात के विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची-I में “एयरपोर्ट” शीर्षक के तहत क्रम सं. 18 के बाद एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित कालम में निम्नलिखित क्रम सं. एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, नामतः :—
“19 तिरुपति (आंध्र प्रदेश)”

3. अनुसूची VI में संशोधन-पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में—

(i) क्रम सं. 262 के सामने सेब्रीय फल सेब, नाशपाती (पाइरस, एसपीपी) और किंवस (साइडोनिया, एसपीपी) से संबंधित कालम (2) में प्रविष्टि (i) के सामने, कालम (3) में प्रविष्टि (iii) के सामने ‘खपत के लिए ताजा फल’, मद (xv) और कालम (4), (5) और (6) में उनसे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, उनसे संबंधित मद और प्रविष्टियों का अनुसरण करते हुए क्रमशः प्रविष्टियां की जाएंगी नामतः :—

मूल देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल की जाने वाली अतिरिक्त आवश्यक घोषणाएं	आयात की विशेष शर्तें
(4)	(5)	(6)
(xvi) बुल्गारिया	निम्नलिखित से मुक्त: क) एकुलस सचनटेंडाली (एप्पल राइट माईट) ख) एडोक्सोसाइजओराना (ग्रीष्म फल टोरटिक्स) ग) एमेटाटोगिया (साफलाइज) घ) अर्चिप्स पोडानस (ग्रेट ब्राउन ट्विस्ट मोथ) ङ) बाइटूरूस टोमेटोसस (रेस्पबेरी बीटल) च) केराटाइटिस कैपिटेटेया (मेडीटेरानीयन फ्रुट फ्लाय) हेतु छ) कोर्नू एस्पर्सम/हेलिक्स एस्परा (कामन स्नैल) ज) एपीडीएपीज लीपरी (यूरोपियन पीयर स्केल) झ) एरविनया एम्लोबोरा (फायरब्लाइट) ञ) फ्रांक्लीनीयेला ओक्सीडेटेलीस (वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स) ट) ग्राफोलिटा फुनेब्राना (लाल बेर भुनगा) ठ) ग्राफोलिटा मोलेस्टा (ओरियंटल फ्रुट मोथ) ड) हार्मोनिया एक्सीरीडिस (मसखरा गुबरैला) ढ) हेडया नुबीफेराना (कली कीट) ण) होप्लोकैंपा एसपीपी त) लैक्नोबिया ओलेरासिया(ब्राइट-लाइन ब्राउन-आई मोथ) थ) लेयूकोपेट्रा मेलीफोलीयेला (पीयर लीफ ब्लीस्टर मोथ) द) मेटकल्फा प्रूइनोसा (फ्रोस्टेड मोठ-बग) ध) ओर्थोसिया केरासी (कॉमन क्वेकर) न) पंडेमिस हेप्राना (एप्पल ब्राउन टोरटिक्स) त्त) पेरीड्रोमा सउसिया (पेल्ली अंडर मोथ) प) फायटोथ्रोआ क्राइपटोगिया (टोमैटो फ्रुट रौट) फ) स्यूडोमोनस विरीडीफ्लावा (बैक्टीरीयल लीफ ब्लाइट आफ टोमैटो) (यूएसए) ब) वेन्टूरीया पायरीना (पिपर का काला धब्बा)	अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेराटाईसिस कैपिटेटा (मेडीटेरानीयन फ्रुट फ्लाय) हेतु कीट मुक्त क्षेत्र की स्थिति अथवा फ्रुट फ्लाय के सामने 10 दिनों के लिए 0 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम पर, 11 दिनों के लिए 0.55 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम पर; 12 दिनों के लिए 1.1 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम प्री-शिपमेंट शीत उपचार और अंतरण में रैफरिजेशन तथा (ख) एनएपी पर 21 डिग्री सेल्सियस तथा इससे अधिक पर 2 घण्टों के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड धूमन अथवा इसके समकक्ष उपचार उपचार उद्गम देश/पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।
(xvii) स्पेन	निम्नलिखित से मुक्त: क) एडोक्सोफाईस औराना (समर फ्रुट टोरटिक्स) ख) एमेटास्टेजीया (सावफल्याज) ग) वायटूरस टोमेन्टोसस (रेसावेरी वीटल) घ) सेराटिटीस कैपिटेटा (मेडीटेरानीयन फ्रुट फ्लाय) ङ) कोर्नू एस्पर्सम/हेलिक्स एस्परा (कामन स्नैल) च) सीडिया पोमोनेला (कोडलिंग मोथ) छ) डोरोसेफिला सिमुलन्स ज) ईपीडियास्पिस लेपैने (यूरेनीयम पीयर स्केल) झ) इर्विनिया एमीलोबोरा (फायर ब्लाइट)	(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेराटाईसिस कैपिटेटा (मेडीटेरानीयन फ्रुट फ्लाय) हेतु कीट मुक्त क्षेत्र की स्थिति अथवा फ्रुट फ्लाय के सामने 10 दिनों के लिए 0 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम पर, 11 दिनों के लिए 0.55 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम पर; 12 दिनों के लिए 1.1 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम प्री शिपमेंट शीत उपचार और अंतरण में रैफरिजेशन तथा

	<p>ज) फ्रैन्कलीनीला आक्सीडेन्टालीज (वेस्टर्न फ्लोवर थ्रिप्स) ट) ग्रोफोलिटा फ्यूनेब्राना (रेड प्लम मैगोट) ठ) ग्रोफोलिटा मोलेस्टा (आरिएण्टल फ्रूट मोथ) ड) हर्मोनिया एक्सीराईडिस (हर्लिक्यून लेडीवर्ड) ण) ल्यूकोपरेटा मालीफोलिएला (पियर लीफब्लिस्टर मोथ) त) मेटकाल्फा प्रुनोसा (फ्रोस्टेड मोथ-बग) थ) मोनीसिनिया फ्रकटीजेना (फल वृक्ष का बढना) द) ओर्थोसिया सेरसी (कॉमन क्वेकर) ध) पेन्टोमोरम सेर्वीनस (फुलर रोज वीटल) न) पेरीड्रोमा सोसिका (पेरली अन्डरविंग मोथ) प) फाईटोफथोर क्रिपटोजीआ (टमाटर फ्रूट रौट) फ) स्यूडोकोकस कैलिसओलारिया (स्कारलेट मीलीबग) ब) स्यूडोमोनस विरीडिफ्लावा (वैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आफ टोमैटो (यूएसए)) भ) वेन्टूरिया पायरीना (पियर का काला धब्बा)</p>	<p>(ख) एनएपी पर 21 डिग्री सेल्सियस तथा इससे अधिक पर 2 घण्टों के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड धूमन अथवा इसके समकक्ष उपचार</p> <p>उपचार उद्गम देश/पुनः निर्यात के देश में लिए जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।</p>
(xviii) यूनाइटेड किंगडम	<p>निम्नलिखित से मुक्त: क) एकूलस सचलटेंडाली (एपल रस्ट माईट) ख) एडोकोफारस औराना (समर फ्रूट टोरट्रिक्स) ग) एमेटास्टेजिया ग्लाबरेटा घ) अर्चिप्स पोडानस (ग्रेट ब्राउन टवीस्ट मोथ) ड) ब्लास्टो बेसीस डेकोलोरेला च) सिडिया पोमोनेला (कोडलिंग मोथ) छ) फोर्फिकूला आरीक्यूलेरिया ज) हर्मोनिया एक्सराईडिस (हर्लिक्यून लेडीवर्ड) झ) होपलोकैम्पा टेस्टूडिनिया ञ) क्यूड्रास्पीडीओटस पायरी ण) सिनडेमिस मुसकुलाना</p>	<p>(क) एनएपी पर 21 डिग्री सेल्सियस तथा उससे अधिक पर 2 घण्टों के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड धूमन अथवा इसके समकक्ष उपचार</p> <p>उपचार उद्गम देश/पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।</p>
(xix) नीदरलैंड	<p>निम्नलिखित से मुक्त: क) एकूलस सचलटेंडाली डाली (एपल रस्ट माईट) ख) एडेक्सोफाईस ओराना (समर फ्रूट टोरट्रिक्स) ग) अर्चिप्स पोडानस (ग्रेट ब्राउन टवीस्ट मोथ) घ) बोटीटिस सिनेरिया ड) सिडिया पोमोनेला (कोडलिंग मोथ) च) हार्मोनिया एक्सीराईडिस (हर्लिक्यून लेडीवर्ड) छ) हेडिया न्यूबीफेरेना (बुड मोथ) ज) मोनीलिनिया फ्रकटीजीना (ब्राऊन रौट) झ) ओर्थोसिया सेरासी (कॉमन क्वेकर) ञ) पेनसिलियम एक्सपेंसम ट) पेजीकुला एलबा ठ) पेजीकुला मालीकोर्टिसिज (एपल एन्थ्राकनोज) ड) फाईटोफथोरा कैकटोरम ढ) फाईटोफथोरा क्रिप्टोजिया (टमाटर फ्रूट रौट) ण) फाईटोफथोरा श्रृंगा त) वेन्टूरिया इनिक्वालिस थ) वेन्यूरिया पायरी (पियर का काला धब्बा)</p>	<p>(क) एनएपी पर 21 डिग्री सेल्सियस तथा इससे अधिक पर 2 घण्टों के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड धूमन अथवा इसके समकक्ष उपचार</p> <p>उपचार उद्गम देश/पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।</p>

(ii) मद सं. (vi) तथा कालम (4), (5) तथा (6) संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात 'खपत हेतु अनाज प्रविष्टि' के सामने कालम (3) में सीसमम एसपीपी (सीसमम) से संबंधित क्र. सं. 289 के सामने, इससे संबंधित निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा, नामतः :-

(4)	(5)	(6)
(vii) मेक्सिको	शून्य	(क) संगरोध खरपतवार मृदा सन्दूषण से मुक्त (ख) 21 डिग्री सेल्सियस तथा उससे अधिक अथवा समकक्ष पर 24 घण्टों के लिए 16 ग्राम प्रति घन मीटर की दर पर मिथाईल ब्रोमाईड धूमन अथवा कोई अन्य उपचार जो, भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुप्रयोग हो। उपचार उद्गम देश/पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।

(iii) मद सं. (ii) तथा कालम (4), (5) तथा (6) से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, कालम(3) में डाइओसपेरोस काकी (पर्सिमोन) से संबंधित क्र. सं. 461 को क्रमशः शामिल किया जाएगा, नामतः :-

(3)	(4)	(5)	(6)
(iii) खपत हेतु ताजे फल	(i) स्पेन	निम्न से मुक्त है:- क). सेराटाईटिस कैपिटाटा (मेडीटेरानीयन फ्रुट फ्लाई) ख) लोबेसिया बोटरोना (ग्रेप बेरी मोथ) ग) स्यूडोकोकस कैल्सओलारिया (स्कारलेट मीलीबग) घ) सिसेमिया नोनाग्रीओडेस (मेडीटेरानीयन कोर्न स्टाक वोरर)	(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेराटाईटिस कैपिटाटा हेतु कीट मुक्त क्षेत्र की स्थिति अथवा फ्रुट फ्लाई के सामने 10 दिनों के लिए 0 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम पर, 11 दिनों के लिए 0.55 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम पर; 12 दिनों के लिए 1.1 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम पर प्री-शिपमेंट शीत उपचार और अंतरण में रेफरिजेशन तथा (ख) एनएपी पर 21 डिग्री सेल्सियस तथा उससे अधिक पर 2 घण्टों के लिए 32 ग्राम प्रति घन मीटर की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड धूमन अथवा इसके समकक्ष उपचार उपचार उद्गम देश/पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।

(iv) खपत/प्रसंस्करण हेतु अनाज/बीज के सामने कॉलम (3) में सीनोपोडियम क्यूनोवा (क्यूनोवा) से संबंधित क्र. सं. 775 के सामने, कॉलम (4) में मौजूदा प्रविष्टियों को मद (i) में तथा मद (i) के पश्चात रखा जाएगा; जहां तक पुनः रखा है कॉलम (4), (5) तथा (6) से संबंधित प्रविष्टियों में इससे संबंधित निम्नलिखित मदों तथा प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा, नामतः :-

(4)	(5)	(6)
(ii) कोलम्बिया	शून्य	संगरोध खरपतवारों, मृदा तथा अन्य पौध कचरों से मुक्त।

4. अनुसूची VII में संशोधन:- पौध संगरोध आदेश, 2003 (भारत में आयात का विनियमन) की अनुसूची VII में क्र. सं. 294 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियों को शामिल किया जाएगा नामतः :-

"295 हीपोफेई रेमनाईड- खपत हेतु सी बकथोर्न फ्रुट पल्प तथा बीज।

296 जनेथोक्सीलम वनजीनम- खपत हेतु साईचून पेपर पोड (ड्राई)"।

[फा. सं. 8-52/2015 पीपी-II]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: पाद संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 को दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को संख्या का.आ. 1322(अ), द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा बाद में 06 फरवरी, 2004 के का.आ. 167 (अ), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427(अ), 31 मई, 2004 के का.आ. 644(अ), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263(अ), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462(अ), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121(अ), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353(अ), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873(अ), 06 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074(अ), 03 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069(अ), 31 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 3(अ), 08 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847(अ), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888(अ), 09 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286(अ), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390(अ), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269(अ), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298(अ), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907(अ), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095(अ), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284(अ), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516(अ), 04 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711(अ), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052(अ), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887(अ), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845(अ), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296(अ), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775(अ), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799(अ), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378(अ), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531(अ), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919(अ), एवं 13 जून, 2014 के का. आ. 1508(अ), 27 जून, 2014 के का. आ. सं. 1632(अ), 12 सितम्बर, 2014 के का. आ. सं. 2320(अ), 29 सितम्बर, 2014 के का. आ. सं. 2542(अ), 11 नवम्बर, 2014 के का. आ. सं. 2879(अ), 10 दिसम्बर, 2014 के का. आ. सं. 3114(अ), 26 मई, 2015 के का. आ. सं. 1413(अ), तथा 15 सितम्बर, 2015 के का. आ. सं. 2496(अ), के माध्यम से संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2016

S.O. 101(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:—

1. **Short title and Commencement.**- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (First Amendment) Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, under the heading “Airports”, after serial number 18, and the entry relating thereto the following serial numbers and entries shall be added, namely :-

“19. Tirupati (Andhra Pradesh)”.

3. **Amendment of Schedule VI.**- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003—

(i) Against serial number 262, relating to Pome fruits Apple, Pear (*Pyrus* spp.) and Quince (*Cydonia* spp.) in column (2) against entry (i), in column (3) against entry (iii) ‘Fresh fruits for consumption’, after item (xv) and entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries relating thereto shall respectively be inserted, namely:

Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary certificate	Special conditions of import
(4)	(5)	(6)
(xvi) Bulgaria	Free from : a) <i>Aculus schlechtendali</i> (Apple rust mite) b) <i>Adoxophyes orana</i> (Summer fruit tortrix) c) <i>Ametastegia</i> (Sawflies) d) <i>Archips podanus</i> (Great brown twist moth) e) <i>Byturus tomentosus</i> (Raspberry beetle) f) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) g) <i>Cornu aspersum/Helix aspera</i> (Common snail). h) <i>Epidiaspis leperii</i> (European pear scale) i) <i>Erwinia amylovora</i> (Fireblight) j) <i>Frankliniella occidentalis</i> (western flower thrips) k) <i>Grapholita funebrana</i> (Red plum maggot) l) <i>Grapholita molesta</i> (Oriental fruit moth) m) <i>Harmonia axyridis</i> (Harlequin ladybird) n) <i>Hedya nubiferana</i> (bud moth) o) <i>Hoplocampa</i> spp. p) <i>Lacanobia oleracea</i> (Bright-line brown- eye moth) q) <i>Leucoptera malifoliella</i> (Pear leaf blister moth) r) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Frosted moth-bug) s) <i>Orthosia cerasi</i> (Common quaker) t) <i>Pandemis heparana</i> (Apple brown tortrix) u) <i>Peridroma saucia</i> (Pearly underwing moth) v) <i>Phytophthora cryptogea</i> (Tomato foot rot) w) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato (USA)) x) <i>Venturia pyrina</i> (Black spot of pear)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against fruit fly and (b) Methyl Bromide fumigation @ 32 g/M ³ for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.
(xvii) Spain	Free from: a) <i>Adoxophyes orana</i> (Summer fruit tortrix) b) <i>Ametastegia</i> (Sawflies) c) <i>Byturus tomentosus</i> (Raspberry beetle) d) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) e) <i>Cornu aspersum/Helix aspera</i> (Common snail). f) <i>Cydia pomonella</i> (Codling moth) g) <i>Dorosophila simulans</i> h) <i>Epidiaspis leperii</i> (European pear scale) i) <i>Erwinia amylovora</i> (Fireblight) j) <i>Frankliniella occidentalis</i> (western flower thrips) k) <i>Grapholita funebrana</i> (Red plum maggot) l) <i>Grapholita molesta</i> (Oriental fruit moth) m) <i>Harmonia axyridis</i> (Harlequin ladybird) n) <i>Leucoptera malifoliella</i> (Pear leaf blister moth) o) <i>Metcalfa pruinosa</i> (Frosted moth-bug) p) <i>Monilinia fructigena</i> (Blossom blight of fruit trees) q) <i>Orthosia cerasi</i> (Common quaker) r) <i>Pantomorus cervinus</i> (Fuller's rose beetle) s) <i>Peridroma saucia</i> (Pearly underwing moth) t) <i>Phytophthora cryptogea</i> (Tomato foot rot) u) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (Scarlet mealybug) v) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato (USA)) w) <i>Venturia pyrina</i> (Black spot of pear)	(a) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against fruit fly and (b) Methyl Bromide fumigation @ 32 g/M ³ for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.

(xviii) United Kingdom	Free from: a) <i>Aculus schlechtendali</i> (apple rust mite) b) <i>Adoxophyes orana</i> (summer fruit tortrix) c) <i>Ametastegia glabrata</i> d) <i>Archips podanus</i> (great brown twist moth) e) <i>Blastobasis decolorrella</i> f) <i>Cydia pomonella</i> (codling moth) g) <i>Forficula auricularia</i> h) <i>Harmonia axyridis</i> (harlequin ladybird) i) <i>Hoplocampa testudinea</i> j) <i>Quadraspidiotus pyri</i> k) <i>Syndemis musculana</i>	a) Methyl Bromide fumigation @ 32 g/M ³ for 2 hrs at 21 ⁰ C or above at NAP or equivalent thereof. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.
(xix) Netherlands	Free from: a) <i>Aculus schlechtendali</i> (apple rust mite) b) <i>Adoxophyes orana</i> (summer fruit tortrix) c) <i>Archips podanus</i> (great brown twist moth) d) <i>Botrytis cinerea</i> e) <i>Cydia pomonella</i> (codling moth) f) <i>Harmonia axyridis</i> (harlequin ladybird) g) <i>Hedya nubiferana</i> (bud moth) h) <i>Monilinia fructigena</i> (brown rot) i) <i>Orthosia cerasi</i> (common quaker) j) <i>Pencillium expansum</i> k) <i>Pezicula alba</i> l) <i>Pezicula malicorticis</i> (apple anthracnose) m) <i>Phytophthora cactorum</i> n) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot) o) <i>Phytophthora syringae</i> p) <i>Venturia inaequalis</i> q) <i>Venturia pyrina</i> (black spot of pear)	a) Methyl Bromide fumigation @ 32 g/M ³ for 2 hrs at 21 ⁰ C or above at NAP or equivalent thereof The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.

(ii) Against serial number 289, relating to *Sesamum* spp. (Sesamum) in column (3) against entry 'Grains (seeds) for consumption' after item (vi) and entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries relating thereto shall respectively be inserted, namely:

(4)	(5)	(6)
(vii) Mexico	Nil	(i) Free from quarantine weed seeds and soil contamination. (ii) Methyl Bromide fumigation @ 16 g/m ³ for 24 hrs at 21 ⁰ C and above or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.

(iii) Against serial no. 461, regarding *Diospyros kaki* (Persimmon) in column (3), after the item (ii) and the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely:-

(3)	(4)	(5)	(6)
(iii) Fresh fruits for consumption	(i) Spain	Free from: a) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) b) <i>Lobesia botrana</i> (Grape berry moth) c) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (Scarlet mealybug) d) <i>Pseudococcus viburni</i> (Mealybug) e) <i>Sesamia nonagrioides</i> (Mediterranean corn stalk borer)	(i) Pest free area status for <i>Ceratitis capitata</i> as per international standards Or Pre-shipment cold treatment at 0 ⁰ C or below for 10 days; 0.55 ⁰ C or below for 11 days; 1.1 ⁰ C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against fruit fly and (ii) Methyl Bromide fumigation @ 32 g/m ³ for 2hrs at 21 ⁰ C and above at NAP or equivalent thereof.

			The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.
--	--	--	--

(iv) Against serial number 775, relating to *Chenopodium quinoa* (Quinoa) in column (3) against entry 'Grain/Seeds for consumption/processing', the existing entries in column (4) shall be numbered as item (i) thereof and after item (i) as so re-numbered, the entries relating thereto in columns (4), (5) and (6) the following item and entries relating thereto shall respectively be inserted, namely:

(4)	(5)	(6)
(ii) Colombia	Nil	Free from quarantine weed seeds, soil and other plant debris.

4. Amendment of Schedule VII.— In the Schedule VII to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 after serial number 294 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted namely:-

- “295 Hippophae rhamnoides – Sea buckthorn fruit pulp and seeds for consumption.
296 Zanthoxylum bungeanum – Sichuan pepper pods (dried) for consumption.”

[F. No. 8-52/2015-PP.II]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October, 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December, 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012 and S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014 and S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No.2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No. 2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No.3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015 and S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015.